रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 499] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 1986/कार्तिक 6, 1908
No. 499] NEW DELHI, TUESDAY, OCT. 28, 1986/KARTIKA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 1167(अ) :—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के खंड-7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय तार नियम 1951 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय तार नियम 1986 (छठा संशोधन) कहे जाएंगे।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 429 के उप नियम (1) में निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) कोई उपभोक्ता तार-प्राधिकारी की अनुमति के बिना टेलीफोन अंतरित नहीं करेगा।"

[सं. 2-2/86-पीएचए]

पी. एस एंडला, उप महानिदेशक (सी. एस.)

टिप्पणी : — डाक-तार नियम पुस्तक खंड-एक (विधायी अधिनियम-भाग-दो) के प्रकाशन के पश्चात् उक्त नियमों में संशोधन करके 1 सितम्बर, 1984 तक संशोधित प्रमुख नियमों को जारी किया जा चुका है, अर्थात् :—

| | |
|---|---|
| (1) सा.का.नि. 387(ई) | दिनांक 22-5-86 |
| (2) सा.का.नि. 679 | दिनांक 20-6-84 |
| (3) सा.का.नि. 428 | दिनांक 27-4-85 |
| (4) सा.का.नि. 729 | दिनांक 3-8-85 |
| (5) सा.का.नि. 482 | दिनांक 19-10-85 |
| (6) सा.का नि. 553(ई) | दिनांक 27-3-86 |
| (7) सा.का नि. 314 | दिनांक 26-4-86 |
| (8) सा.का.नि. 953(ई) | दिनांक 22-7-86 |
| (9) सा.का.नि. 1121 (ई) | दिनांक 1-10-86 |

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(Telecommunications Board)

New Delhi, the 28th October, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1167(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Sixth Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 429, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) A subscriber shall not transfer the telephone without the permission of the Telegraph Authority."

[No. 2-2/86-PHA]

P. S. ENDLAW, Dy. Director General (CS)

NOTE : The principal rules after publication of P&T Manual Volume I (Legislative Enactment—Part II) corrected upto 1st September, 1984 amending the said rules have been issued, namely :—

(1) G.S.R. No. 387(E) dated 22-5-84

(2) G.S.R. No. 679 dated 20-6-84

(3) G.S.R. No. 428 dated 27-4-85

(4) G.S.R. No. 729 dated 3-8-85

(5) G.S.R. No. 482 dated 19-10-85

(6) G.S.R. No. 553(E) dated 27-3-86

(7) G.S.R. No. 314 dated 26-4-86

(8) G.S.R. No. 953(E) dated 22-7-86

(9) G.S.R. No. 1121(E) dated 1-10-86

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986